संघवाद (Federalism) के लिए एक संवैधानिक झटका: राज्यपालों की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का विचार

यूपीएससी (UPSC) प्रासंगिकता -

- **जी.एस. पेपर-2, राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance)**

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति के **16वें संदर्भ (Presidential Reference)** पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ने केंद्र–राज्य संबंधों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।
- न्यायालय ने यह माना है कि:
    - राज्य विधेयकों पर निर्णय लेते समय **राज्यपालों और राष्ट्रपति को निश्चित समय-सीमा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।**
    - केवल इसलिए कि राज्यपाल निर्णय में देरी करते हैं, अदालतें **"मानद सहमति" (deemed consent)** भी नहीं मान सकती हैं।
- इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि इन प्राधिकारियों को **"लंबे समय तक या टालमटोल वाली निष्क्रियता"** में शामिल नहीं होना चाहिए।
- हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्यपालों को मजबूत करता है और **राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करता है**, जिससे भारत की संघीय संरचना प्रभावित होती है।

पृष्ठभूमि

- पिछले कुछ वर्षों में, कई राज्य सरकारों ने शिकायत की है कि राज्यपाल बहुत लंबी अवधि के लिए विधेयकों को रोक रहे हैं—कभी-कभी बिना कोई स्पष्टीकरण दिए।
- अप्रैल 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए:
    - **तीन महीने की समय-सीमा तय की थी**, और
    - **तमिलनाडु विधानसभा के कुछ विधेयकों को मानद सहमति (deemed assent) प्रदान की थी** (अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए)।[2]
- नई राय इस दृष्टिकोण को पलट देती है, क्योंकि यह समय-सीमा और मानद सहमति **दोनों को अस्वीकार करती है।**

शामिल संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान (Governor's Action)
अनुच्छेद 200	**राज्यपाल:** सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, विधेयक वापस कर सकते हैं (धन विधेयकों को छोड़कर), या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
अनुच्छेद 201	**राष्ट्रपति:** राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर सहमति दे सकते हैं, या सहमति रोक सकते हैं।

- **मुख्य वाक्यांश: "जितना जल्दी हो सके" (As soon as possible)**
    - यह वाक्यांश तय करता है कि राज्यपाल को कितनी जल्दी कार्य करना चाहिए, लेकिन न्यायालय का कहना है कि कठोर समय-सीमा लगाने के लिए यह बहुत **"लोचदार" (elastic)** है।

सर्वोच्च न्यायालय की राय के मुख्य बिंदु

1. राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए कोई अनिवार्य समय-सीमा नहीं

- न्यायालय ने कहा कि अदालतें सख्त समय-सीमा लागू नहीं कर सकतीं, क्योंकि:
    - यह **शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers)** का उल्लंघन करता है।
    - संविधान में स्पष्ट रूप से समय-सीमा का उल्लेख नहीं है।
    - "जितना जल्दी हो सके" वाक्यांश निश्चित समय-सीमा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

2. "मानद सहमति" (Deemed Assent) को अस्वीकार करना

- पहले, यदि राज्यपाल अत्यधिक देरी करते थे, तो अदालतें यह मान सकती थीं कि विधेयक को मंजूरी मिल गई है।
- अब, न्यायालय का कहना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है—यहां तक कि **अनुच्छेद 142** के तहत भी नहीं, जिसका उपयोग आमतौर पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।[4]

3. राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं

- न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्यपाल विधेयकों से संबंधित हर कदम पर मंत्रिपरिषद की सलाह से **पूरी तरह से बंधे नहीं हैं।**
- लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह निम्न के विरुद्ध जाता है:
    - संवैधानिक इतिहास, और
    - संविधान निर्माताओं का इरादा, क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 200 और 201 से **"अपने विवेक से" (in his discretion)** वाक्यांश हटा दिया था।

4. यदि सहमति रोकी जाती है $\rightarrow$ विधेयक को वापस करना होगा

- न्यायालय ने एक छोटी सी सुरक्षा जोड़ी:
    - यदि राज्यपाल सहमति रोकते हैं, तो उन्हें विधेयक को **पुनर्विचार के लिए** विधानसभा को वापस करना होगा।

हालांकि...

5. पुनः पारित होने के बाद भी राज्यपाल विधेयक आरक्षित कर सकते हैं

- भले ही विधानसभा विधेयक को फिर से पारित कर दे, राज्यपाल अभी भी इसे **राष्ट्रपति के लिए आरक्षित** कर सकते हैं।

- यह निम्न को कमजोर करता है:
  - विधायिका का अधिकार, और
  - यह विचार कि दूसरी बार पारित होना बाध्यकारी होना चाहिए।

यह निर्णय संघवाद को क्यों कमजोर करता है

A. असीमित विवेक = असीमित देरी

- चूंकि कोई समय-सीमा नहीं है, राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों में देरी कर सकते हैं।
- और अब राज्यों को हर बार अनुचित देरी साबित करने के लिए अदालत जाना होगा।
- **उदाहरण:** कई विपक्षी-शासित राज्यों को पहले ही अपने विधेयकों को मंजूरी मिलने में लंबी देरी का सामना करना पड़ा है।

B. राष्ट्रपति के लिए आरक्षण एक आसान बचाव बन जाता है

- राज्यपाल किसी भी चरण में किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति के निर्णय के लिए **कोई समय-सीमा मौजूद नहीं है।**[5]
- विधेयक वर्षों तक लंबित रह सकते हैं, और राज्य के पास कोई उपाय नहीं बचता।

C. विधानसभा की शक्ति कम होती है

- यहां तक कि अगर निर्वाचित विधानसभा किसी विधेयक को दो बार पारित करती है, तब भी उसकी इच्छा बाध्यकारी नहीं होती है।
- यह **राज्य सूची** के मामलों को भी प्रभावित करता है, जो राज्य के **अनन्य अधिकार क्षेत्र** में माने जाते हैं।

D. राज्यों के लिए सुरक्षा उपायों का नुकसान

- पहले, राज्य निम्नलिखित पर भरोसा कर सकते थे:
  - समय-सीमा,
  - मानद सहमति,
  - अनुच्छेद 142 के तहत राहत,
  - देरी की न्यायिक समीक्षा।
- अब, ये सभी सुरक्षा उपाय कमजोर हो गए हैं या हटा दिए गए हैं, जिससे **कार्यकारी अतिरेक (executive overreach)** की गुंजाइश बन गई है।

केंद्र–राज्य संबंधों पर प्रभाव

- केंद्र का **अप्रत्यक्ष प्रभाव** बढ़ता है, खासकर विपक्षी-शासित राज्यों में।
- संवेदनशील नीतियों में **राजनीतिक देरी** को बढ़ावा मिलता है।
- **सहकारी संघवाद (cooperative federalism)** कमजोर होता है।
- शासन और कानून बनाने में **अनिश्चितता** पैदा होती है।

सुधार के लिए सिफारिशें

1. संवैधानिक या कानूनी समय-सीमा जोड़ना

- संसद 3-6 महीने की सीमा तय कर सकती है, जैसा कि **सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)** ने सुझाया था।

2. राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को कब आरक्षित किया जा सकता है, यह निर्दिष्ट करना

- स्पष्ट मानदंड मनमाने ढंग से भेजे जाने को रोकेंगे।

3. न्यायिक समीक्षा को मजबूत करना

- अदालतों को निम्न की समीक्षा करनी चाहिए:
  - **दुर्भावनापूर्ण कार्य (mala fide actions),**
  - अतार्किक या अस्पष्टीकृत देरी।

4. सहायता और सलाह का पालन करने के राज्यपाल के कर्तव्य को सुदृढ़ करना

- यह **संसदीय लोकतंत्र** की भावना के अनुरूप है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य संवैधानिक संतुलन बनाए रखना था, लेकिन संघीय ढांचे पर इसका व्यावहारिक प्रभाव **हानिकारक** प्रतीत होता है। समय-सीमा को हटाकर, मानद सहमति को अस्वीकार करके, और राज्यपाल के विवेक को बढ़ाकर, इस फैसले ने राज्य विधानसभाओं की प्रभावी शक्ति को कम कर दिया है।

अंततः, यह संवैधानिक प्रक्रियाओं को राजनीतिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में बदल देता है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही और संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय संरचना **दोनों कमजोर** होती हैं।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा –

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 200 और 201** के संदर्भ में, निम्नलिखलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यपाल को संवैधानिक रूप से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है।
2. राज्यपाल किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा दूसरी बार पारित करने के बाद भी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं।
3. **"यथाशीघ्र"** वाक्यांश अनुच्छेद 201 में आता है।

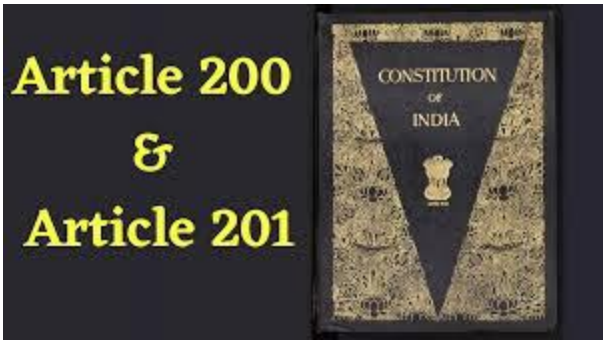

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a. केवल 1
b. केवल 2
c. केवल 2 और 3
d. 1, 2 और 3

उत्तर - सही विकल्प: b (केवल 2)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: 16वें राष्ट्रपति संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय की भारत के संघीय ढांचे के लिए एक झटका के रूप में आलोचना की गई है। अनुच्छेद 200 और 201 की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपालों की भूमिका और केंद्र-राज्य संबंधों पर इसके प्रभावों के आलोक में इस निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

IAS-PCS Institute

Result Mitra

रिजल्ट का साथी

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806